न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

अपील संख्या – 01/2017

1. भगवान सिंह आयु 82 साल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी हमीरवास ग्राम पंचायत नूंआ तहसील व जिला झुन्झुनू।

– अपीलार्थी

बनाम

1. रामधन पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी हमीरवास ग्राम पंचायत नूआं तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, नूआं पं०स०, झुन्झुनू।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, झुन्झुनू।

–रेस्पाडेन्टस

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मदन सिंह गिल – अपीलार्थी की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय दिनांकः 30.01.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी की टीनेन्सी की भूमि खसरा नम्बर 62 व 64 रकबा 1.16 है० ग्राम हमीरवास में स्थित है। जिसमें से अपीलार्थी ने दिनांक 07.01.2008 को 0.3032 है० भूमि जरिये पंजीयन बयनामा रेस्पोडेन्ट रामधन को विकय कर दी थी। उक्त विकय पत्र दिनांक 07.01.2008 पु०स० 01 जिल्द संख्या 32 पृष्ठ संख्या 103, 104 कम संख्या 200840–74 व 75 पर उपपंजीयक झुन्झुनू के यहां तस्दीक करवाया था। बेचान के आधार पर तहसीलदार भू–अभिलेख झुन्झुनू ने इंतकाल नम्बर 59 के जरिये रामधन के हक में 0.30 है० भूमि की प्रविष्टि उसके हक में कर दी। उक्त इंतकाल 59 के आधार पर जमाबंदी सम्वत 2063–2066 में भगवान सिंह का 0.30 है० हिस्सा कम कर जमाबंदी में इन्द्राज निम्नानुसार रहा खसरा नम्बर 62, 64 रकबा 1.16 है० में रामधन पुत्र तारूराम, 0.30 है० बजरंग पुत्र मालाराम, 0.24 है० भगवान सिंह पुत्र सुरजा 0.62 है० रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 साज कर उक्त बयनामे के आधार पर गत इंतकाल के आधार पर 191 दिनांक 20.12.2013 जरिये प्रस्ताव संख्या 01 पुनः भरा जिससे बेचान पंजीयन दिनांक 07.01.2008 की वही प्रविष्टि दिखाते हुए रामधन के नाम से पुनः 0.30 है० का इंतकाल भर दिया। उक्त इंतकाल के आधार पर जमाबंदी सम्वत 2070 में भगवान सिंह के हिस्से 0.62 है० में से 0.3032 है० रेस्पोडेन्ट रामधन एवं 0.3168 है० भगवानसिंह की खातेदारी में दर्ज हुई। रजिस्ट्रड बेचान के आधार पर विकय भूमि का इन्तकाल भरने का अधिकार संबधित तहसीलदार को है। ग्राम पंचायत विकय के आधार पर इंतकाल तसदीक नहीं कर सकती। इतंकाल की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी ने कानूनी सलाह लेकर दिनांक 06.07.17 को इंतकाल संख्या 91 नकल प्राप्त की तब मालूम चला कि ग्राम पंचायत नूआं के संरपच ने दिनांक 20.12.13 के

प्रस्ताव संख्या 01 के तहत बिना किसी आधार के इंतकाल नम्बर 59 के नाम से अपीलार्थी के नाम से 0.30 है0 भूमि रेन्पोडैन्ट नम्बर 01 के हक में दर्ज कर दी। अतः अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत नूआं का आदेश प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.12.13 व उसके आधार पर तस्दीक इंतकाल संख्या 191 दिनांक 20.12.13 ग्राम पंचायत नूआं का निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडैन्ट संख्या 01 लगायत 03 को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की तरफ से इकबालिया जबाव पेश कर उक्त अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बाद तामिल उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। बहस अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेस्पोडैन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जबाव व बहस पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत नूआं का आदेश प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.12.2013 एवं इसके आधार पर तस्दीक इंतकाल संख्या 191 दिनांक 20.12.2013 खारिज किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/19

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)